कार्यालय– जिला समाज कल्याण अधिकारी, सम्भल।

पत्रांक–C-403/ स0क0 / दशमो0छात्र0 / 2023–24 दिनांकः 06/07/2023

समस्त निदेशक / प्राचार्य /
शासकीय / अशासकीय / वित्तविहीन महाविद्यालय /
इंजीनियरिंग कालेज / पॉलीटेक्निक / आई0टी0आई0 कालेज
जनपद सम्भल।

विषयः– **दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।**

आप अवगत है कि वर्ष 2016–17 से प्रख्यापित सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली व उसके उपरांत कतिपय संशोधनों तथा वर्ष 2021–22 में प्रख्यापित अनुसूचित जाति / जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली में उल्लिखित नियमों के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश समय–समय पर दिये गये है। आपके स्तर से नियमावली के सम्पूर्ण प्राविधानों का अनुपालन किया जाना है इस क्रम में नियमावली के निम्नलिखित कतिपय बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है :–

1. जिन शिक्षण संस्थाओं / पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से काउन्सिलिंग के तहत प्रवेश की कार्यवाही की जाती है ऐसे पाठ्यक्रमों में यदि कोई छात्र जिसने प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन तक नहीं किया है, को मैनेजमेन्ट कोटा के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है। **मैनेजमेन्ट कोटा के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं है।**
2. प्राविधिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत संयुक्त प्रवेश परीक्षा परषिद, उ0प्र0 द्वारा पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है जिसमें 03 वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के साथ–साथ 02 वर्षीय डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग व डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में यदि कोई छात्र प्रवेश परीक्षा में आवेदन किये बिना सीधे किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेता है तो वह मैनेजमेन्ट कोटा से आच्छादित होगा।
3. किसी पाठ्यक्रम में मैनेजमेन्ट कोटा के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में आच्छादित छात्र पाठयक्रम के अन्य वर्षों में भी मैनेजमेन्ट कोटा के छात्र रहेंगे अथवा नहीं के क्रम में अवगत कराना है कि **मैनेजमेन्ट कोटा से आच्छादित छात्र पाठयक्रम के सम्पूर्ण अवधि में मैनेजमेन्ट कोटा के ही छात्र माने जायेंगे।**
4. नियमावली में प्राविधान है कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में शिक्षण संस्था द्वारा गलत सूचना भरने, संस्था में छात्रों के अध्ययनरत न पाये जाने, संस्था द्वारा छात्र / छात्रा के किसी अन्य संस्थान में अध्ययनरत होते हुए भी अपने संस्थान से आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करना, छात्रों द्वारा माता–पिता की वास्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर आवेदन करना, छात्रों द्वारा झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत करना, कूटरचित अभिलेखों के आधार पर छात्र / संस्थान द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करना एवं संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन को सत्यापित एवं अग्रसारित करना आदि अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित छात्रों / शिक्षण संस्थानों के

संचालकों/प्रधानाचार्यों/शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों आदि के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने एवं गबन की गयी धनराशि की वसूली जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है।

5. नियमावली में प्राविधान किया गया है कि यदि किसी संस्थान में नवीनीकरण के छात्रों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम है तो प्राप्त की गयी धनराशि संस्था को वापस करनी होगी।
6. वर्ष 2020–21 से छात्रों के आधार नम्बर अनिवार्य किये गये है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में छात्रों द्वारा भरे गये आधार नम्बर का आथेन्टिकेशन होने के पश्चात ही आवेदन पत्र अग्रसारित होगा। इस सम्बन्ध में छात्रों के हाई–स्कूल अंकपत्र में दिये गये नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि के आधार पर आधार कार्ड बनवाया जाना आवश्यक है। यदि किसी छात्र का आधार कार्ड बन गया है और उसमें त्रुटि है तो उसे हाई–स्कूल अंकपत्र में दिये गये डाटा के आधार पर आधार कार्ड को अपडेट किया जाना है। यदि किसी माता–पिता की पुत्री का विवाह हो गया है तो आधार कार्ड में पति का नाम एवं ससुराल के पते को अपडेट कराया जाना है। यदि आधार कार्ड में छात्र का नाम, जन्मतिथि अथवा आधार नम्बर मिसमैच होगा तो आधार नम्बर आथेन्टिकेट न होने के कारण आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं होगा। उक्त के सम्बन्ध में प्रत्येक शिक्षण संस्थान में कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर विस्तृत जानकारी दी जानी है। **शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि जिन छात्रों के आधार कार्ड नहीं हैं उन्हें युद्धस्तर पर बनवा लिया जाय तथा आधार कार्ड में गलत डाटा है तो उसे अपडेट करा लिया जाये।**
7. नियमावली में प्राविधान है कि यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम का अध्ययन छोड़ देता है तो उस छात्र को पाठ्यक्रम में विगत वर्ष में भुगतान की गयी धनराशि को वापस करनी होगी। इस क्रम में जनपद के प्रत्येक शिक्षण संस्थान को निर्देशित किया जाता है कि उक्त का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।
8. गत वर्ष विभिन्न पाठ्यक्रमों में शुल्क लॉक किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिये गये थे। उक्त दिशा–निर्देशों का वर्तमान सत्र में भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। यदि किसी विश्वविद्यालय से अथवा किसी निजी शिक्षण संस्था से विश्वविद्यालय स्तर से निर्धारित शुल्क का पत्र प्राप्त होता है तो उनसे उस पाठ्यक्रम में निर्धारित शुल्क के क्रम में उच्च शिक्षा विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग/कृषि शिक्षा विभाग आदि के अनुमोदन की प्रति भी संलग्न की जाये। प्रति प्राप्त होने पर ही शुल्क लॉक करने की कार्यवाही कार्यालय द्वारा की जायेगी।
9. प्रदेश में छात्र/छात्राओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों में शासन द्वारा निर्धारित 75 प्रतिशत न्यूनतम उपस्थिति होने पर ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृति के उपरान्त भुगतान की जाती है। **75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं है।**
10. वित्तीय वर्ष 2022–23 में जनपद के समस्त शिक्षण संस्थानों के जिन छात्र/छात्राओं का डाटा अग्रसारित किया गया था, उन डाटा का कार्यालय स्तर पर परीक्षण में पाया गया कि अत्यधि संख्या में छात्र नियमावली के प्राविधानों के अनुसार पात्र नहीं थे, यथा– हाईस्कूल उत्तीर्ण करने के उपरान्त निर्धारित समय–सीमा 06 वर्ष के पश्चात आई0टी0आई0 के छात्रों का डाटा को अग्रसारित करना, मैनेजमेन्ट कोटा के छात्रों को अग्रसारित करना, अनुसूचित जाति छात्रों हेतु कतिपय पाठ्यक्रमों में निर्धारित 50 प्रतिशत अंक की बाध्यता सामान्य वर्ग में 55 प्रतिशत अंक की बाध्यता के के विपरीत

इससे कम अंक वाले छात्रों को अग्रसारित करना, ऑनलाइन डाटा में छात्रों की 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर भी अग्रसारित करना, विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी स्तर से छात्र के सत्यापित न होने पर भी छात्रों के डाटा को अग्रसारित करना, गत वर्ष का परीक्षाफल घोषित न होने पर भी अग्रेतर वर्ष में डाटा को अग्रसारित किया गया है, जो पूर्णतया आपकी उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। इस प्रकार के डाटा का गहनता से परीक्षण किया जाना चाहिये था।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा प्रतिवर्ष नियमावली में उल्लिखित सभी नियमों तथा उपरोक्त उल्लिखित बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। यदि जांचोपरान्त किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों के संचालकों/ प्रधानाचार्यों/शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों आदि का पूर्णतया उत्तरदायी होगा।

(मौ0 मुश्ताक अहमद)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
सम्भल।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, सम्भल।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदया, सम्भल।
4. उपनिदेशक, समाज कल्याण, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
5. जिला विद्यालय निरीक्षण, सम्भल।
6. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सम्भल।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सम्भल।